

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस—नोट :—

दिनांक :— 16.05.2018

आयोग द्वारा दिनांक 24.04.2018 को ऑन—लाईन आयोजित सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग) संवीक्षा परीक्षा 2015, की उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तरकुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 18.05.2018 से दिनांक 20.05.2018 को रात्रि 12:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन आयोग की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकता है। आपत्तियाँ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक (Standard, Authentic) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क रु 100/- निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी अपनी एप्लीकेशन आई.डी., जन्म तिथि तथा आयोग में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से आयोग के पोर्टल पर लॉगिन कर प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क रु 100/- के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क का भुगतान ई-मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेंमेंट गेटवे के माध्यम से करवाकर आपत्तियों को स्थाई रूप से दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेंगी। आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 18.05.2018 से दिनांक 20.05.2018 को रात्रि 12.00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी। आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों के लिये पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in/examobjection या लिंक rpsc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं, को अभ्यर्थी क्लिक करें।

अभ्यर्थी उनके द्वारा दी गई ऑनलाइन परीक्षा का पुनरावलोकन RPSC की Website पर उपलब्ध लिंक MEMORY से कर सकते हैं।

(राम दयाल भीणा)
उप सचिव